



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1994]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2016/श्रावण 18, 1938

No. 1994]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2016/SRAVANA 18, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2016

आय-कर

का.आ. 2671(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (कक) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (20वां संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962, के परिशिष्ट 2, के प्ररूप 10क में,—

(i) मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4 न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/संस्थापक (संस्थापकों) के व्यौरे :—

क्रम सं.	नाम	पता	स्थायी खाता सं. (पेन)।";

(ii) मद संख्या 6 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"6 न्यासी (न्यासियों) प्रबंधक/(प्रबंधकों) के ब्यौरे अर्थात् :—

क्रम सं.	नाम	पता	स्थायी खाता सं. (पेन)।"।

[अधिसूचना सं. 67/2016/फा. सं. 370142/22/2016-टीपीएल]

नीरज कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में का.आ. संख्यांक 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2226(अ), तारीख 28.06.2016 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।